निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 57 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के माह 05/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री आलोक चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11/10/2018 से 16/10/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/05/2015 से 07/05/2015 तक ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2012 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ज़िला चमोली में मार्ग का निर्माण सुधारीकरण एवं पुलिया निर्माण ।

(II)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		अवशेष (` लाख में)			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2016-17	-	-	92.83	90.27	-	-	-	2.56	-	-
2017-18	-	-	114.69	100.74	-	-	-	13.95	-	-
2018-19	-	-	89.20	67.74	-	-	-	21.46	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
शून्य					

(III) इकाई का बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है ।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(V) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 01/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। न्याय विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:-1 ₹5.00 लाख के अर्थदण्ड की कम वसूली किया जाना |

Clause 2of GPW-9 Compensation for delay: The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be reckoned from the date on which the order to commence work is given to the contractor. The work shall throughout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence (time being deemed to be, the essence of the contract on the part of contractor) and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent for such smaller amount as the authority next higher to the officer accepting the contract on behalf of the Govt. (Whose decision in writing shall be final) may decide on the amount of the estimated cost of the whole work shown by the tender for everyday that the work remains uncommenced or unfinished after the proper dates and further to ensure good progress during the executing of the work.

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के निरीक्षण पत्रावली के लेखा परीक्षा की नमूना जॉच में पाया गया कि श्री नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत घाट–रामणी मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 1 से कि॰मी॰ 13.425 तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य के अन्तर्गत अतिरिक्त चौड़ीकरण, सोलिंग, इण्टर, टॉपकोट, स्कपर, दीवार एवं प्रीमियम कारपेट कार्य के अनुबन्ध संख्या 13/एस॰ई॰–7/2012–13, दिनॉक 27.02.2013 के अन्तर्गत समयवृद्धि प्रकरण स्वीकृति के सम्बन्ध में तथा श्री नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत घाट–रामणी मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 1 से 16 में बी॰एम॰ एवं एस॰डी॰बी॰सी॰ द्वारा डामरीकरण कार्य के अनुबन्ध सख्या 14/एस॰ई॰–7/2012–13 दिनॉक 27.02.2013 के अन्तर्गत समयवृद्धि प्रकरण स्वीकृति हेतु समयवृद्धि क्रमशः दिनॉक 26.03.2017 तक 0.70% क्षतिपूर्ति के साथ एवं दिनॉक 25.03.2017 तक 0.70% क्षतिपूर्ति के साथ मुख्य अभियन्ता, लो॰नि॰वि॰, पौड़ी द्वारा वाया क्रमशः पत्रांक 769/7(472)याता॰(2)–पौड़ी/2018, दिनॉक 11.04.2018 एवं पत्रांक 770/07 याता॰ (समयवृद्धि)–पौड़ी/2018, दिनॉक 11.04.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।जबकि उक्त क्रम में अनुबन्ध संख्या 13 के सापेक्ष XVII/Final Bill एवं अनुबन्ध सं॰ 14 के सापेक्ष 10/Final Bill से ठेकेदार M/S R.G. Buildwell Engg. से क्रमशः 0.20% की दर से Penalty रू॰ 99,981.00 एवं 0.25% की दर से Penalty रू॰ 1,67,946.00 की कटौती की गई है, जो उपरोक्त 0.70% की स्वीकृति से कम कटौती की गई है। उल्लेखनीय है कि उपवर्णित अनुबन्ध संख्या 14 का Estimated Cost of the whole work shown by the tender रू॰ 5,79,44,396.10 व अनुबन्ध संख्या 13 का रू॰ 5,17,80,065.67 है। अतः जी॰पी॰डब्लू॰–9 क्लॉज 2 (Compensation for

delay) के अनुसार अर्थदण्ड Estimated Cost of the whole work shown by the tender के सापेक्ष अध्यारोपित करने का प्राविधान है।

इस प्रकार अनुबन्ध संख्या 13 के सापेक्ष रू॰ 2,62,479.46 (0.70% of रू॰ 5,17,80,065.67 –रू॰ 99,981) व अनुबन्ध संख्या 14 के सापेक्ष रू॰ 2,37,664.77 (0.70% of रू॰ 5,79,44,396.10–रू॰ 1,67,946) दोनों अनुबन्ध से कुल रू॰ 5,00,144.23 की अर्थदण्ड कटौती कम की गई जबकि सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य पर भुगतान का अन्तिमीकरण किया जा चुका है।

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि लेखापरीक्षा आपत्ति का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाएगी एवं कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा एवं संबन्धित खण्ड से आख्या प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दी जाएगी।

अतः ₹5.00 लाख के अर्थदण्ड की कम वसूली किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग के संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तर:-2 निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन न किया जाना

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो॰नि॰वि॰ गोपेश्वर के निरीक्षण निर्देश अभिलेखों के लेखा परीक्षा की नमूना जॉच में पाया गया कि वाया पत्रांक 133/निरीक्षण–7/2017 दिनॉक 10.07.2017 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, पोखरी को निर्देश दिया गया था कि मार्ग के कि॰मी॰ 11 व 12 पर अनुबन्ध संख्या 85/अ॰अ॰ दिनॉक 30.12.2015 लागत रू॰ 34.60 लाख एवं कि॰मी॰ 13 व 14 में अनुबन्ध संख्या 86/अ॰अ॰ दिनॉक 30.12.2015 लागत रू॰ 34.10 लाख में डिफैक्ट कटिंग, स्कपर निर्माण, पैरापिट एवं सोलिंग के निर्माण कार्य जय केदार एसोशिएट के नाम गठित था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30.12.2015 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 31.03.2016 थी।

कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा पिछले कई समय से कार्य नही कराया जा रहा था। अतः निर्देशित किया गया कि ठेकेदार को अन्तिम नोटिस देते हुये तथा किये गये कार्य की अन्तिम माप निर्धारित करते हुये अनुबन्ध का अन्तिमीकरण नियमानुसार अर्थदण्ड लगाते हुये किया जाय।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर वृत्त द्वारा बताया गया कि संबन्धित खंड से लेखापरीक्षा आपत्ति कि अद्यतन अनुपालन आख्या प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दी जाएगी।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2018) तक सुनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि वृत्त द्वारा न ही इस संबंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई एवं न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत संबन्धित अभिलेख में अनुपालन आख्या पायी गई।इस प्रकार निर्माण कार्य नहीं किया जाना विभाग की घोर लापरवाही को इंगित करता है।

अतः यह प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-3 प्राधिकार के बिना कार्य को split कर अनुबंध का गठन किया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के निरीक्षण संबन्धित संचिका से ज्ञात होता है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा पोखरी-विशालखाल-नैल-वामनाथ-संकड़ी मोटरमार्ग (कुल लम्बाई- 14.8 किमी) के पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी (05 जुलाई 2017) में यह अवलोकित हुआ था कि इस कार्य के लिए ` 723.70 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 6971/ III(2)/13-14 (प्रा.आ.) दिनांक 14 दिसम्बर 2013 द्वारा प्रदान की गयी थी और इतनी ही राशि के लिए प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता स्तर-1 लो.नि.वि. , पौड़ी के द्वारा प्रदान (01 मार्च 2015) की गयी थी। जुलाई 2017 तक कार्य पर ` 5.89 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी थी। कार्य के सम्पादन के लिए अधिशासी अभियंता के स्तर से सात अनुबंध का गठन किया गया था जबकि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार अनुबंध का गठन अधीक्षण अभियंता से स्तर से किया जाना चाहिए था। पुनः अधिशासी अभियंता के द्वारा अनुबंध का गठन बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के किया गया था। कार्य के निरीक्षण में यह पाया गया कि मार्ग के किमी- 1,2,3,4,5,6,7,8,11 एवं 12 पर नाली का निर्माण नहीं किया गया था जिसके कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुनः यह भी विदित है कि किमी- 2,3,6,7 एवं 11 पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही कुछ chainage पर कार्य specification के अनुरूप नहीं कराये जाने के कारण पीसी की सतह जगह-जगह उखड़ गयी है। इस प्रकार, कार्य सम्पादन में संपूर्णता: का अभाव लगता है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता के द्वारा खंडो की निरीक्षण प्रतिवर्ष किए जाने के बावजूद भी इस तरह की वित्तीय कमी उजागर नहीं हुई कि खंड द्वारा प्राधिकार उपलब्ध नहीं होने के बाद भी ` 7.24 करोड़ के प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रविधिक स्वीकृति के सापेक्ष splitting करके सात अनुबंध का गठन किया गया था जबकि कार्य पूरी तरह से Mechanical nature एवं एक ही प्रवृति की थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर वृत द्वारा तत्कालिक उत्तर ना देते हुए यह बताया गया कि खंड से उत्तर प्राप्त कर लेखा परीक्षा को प्रेषित किया जाएगा।

वृत का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेख से ज्ञात होता है कि खंड का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता रहा है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
53/2001-02	-	1	
54/2012-13	-	1	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			विभागीय उत्तर में बताया गया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुति के पश्चात कार्यालय प्रधान माहलेखाकार को प्रेषित कर दी जाएगी । अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

(i) निरीक्षण डाटा

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री जी. सी. शर्मा	अधीक्षण अभियंता

4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।

N.A.

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, 7 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II